

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(2)साप्र/5/2015

जयपुर, दिनांक: 05.10.2015


—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.07.2015 द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के तहत निम्नलिखित आवंटी को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उनको आवंटित आवास की कब्जा अवधि पत्र जारी होने की तिथि से **तीन दिवस** तक बढ़ाई जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं.	आवंटी का नाम	आवास संख्या
1	श्रीमती सीमा मीणा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर	सी-1-31

उक्त आवंटी को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें आवंटित आवास का कब्जा **तीन दिवस** में लेकर इस विभाग को सूचित करें। उक्त अवधि में आवास का कब्जा नहीं लेने पर आवंटन निरस्त हो जावेगा। आवंटन की शर्तें पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 08.07.2015 अनुसार रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग,(विधुत वृत) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.07.2015 की शर्तें संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव